

मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

मेरठ।

पत्रांक : 918

/कार्या0-उपा0/19

दिनांक : 27/12/19

कार्यालय आदेश

आवासीय क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित इकाईयों को बंद कराने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मेरठ के पत्रांक-1913/निरीक्षण-सर्वे/19-20 दिनांक 17.12.19 के क्रम में मेरठ विकास प्राधिकरण से श्री विवेक शर्मा, सहायक अभियन्ता को नामित किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

*[Handwritten Signature]*

(राजेश कुमार पाण्डेय)

उपाध्यक्ष,

मेरठ विकास प्राधिकरण,

मेरठ।

प्रतिलिपि:-

- 1-जिलाधिकारी, मेरठ को सूचनार्थ।
- 2-अपर जिलाधिकारी(नगर), मेरठ को सूचनार्थ।
- 3-मुख्य अग्निशमन अधिकारी/नोडल अधिकारी को सूचनार्थ।
- 4-सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
- 5-श्री विवेक शर्मा, सहायक अभियन्ता को सन्दर्भित पत्र दिनांक 17.12.19 की प्रति के साथ अनुपालनार्थ।

*[Handwritten Signature]*

(राजेश कुमार पाण्डेय)

उपाध्यक्ष,

मेरठ विकास प्राधिकरण,

मेरठ।

*[Handwritten Signature]*